भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 286
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य निधि

286. श्रीमती बाग मिताली:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी निधि देय है तथा तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पश्चिम बंगाल को विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी निधि आवंटित की गई है तथा तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास के निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

पीएमएवाई-जी के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश की निधियाँ एकल इकाई मानकर सीधे जारी करता है। तदन्तर लाभार्थियों को किस्तों के रूप में निधि का

संवितरण राज्य द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों, राज्यों के पास लंबित शेष लक्ष्यों, निर्धारित देनदारियों, उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि और समय-समय पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों के राज्यों द्वारा अनुपालन के अनुसार जारी की जाती है। मंत्रालय ने पिछले पाँच वित्तीय वर्षों, अर्थात 2020-21 से 2024-25 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय अंश की निधि के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को ₹1,51,933.94 करोड़ जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के आवाससॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अवधि के दौरान योजना को कार्यान्वित करने के लिए ₹2,18,925.72 करोड़ (समान राज्य अंश सहित) का उपयोग किया है। पिछले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25) में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधि (समान राज्य अंश सहित) का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): मंत्रालय ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्रीय अंश की निधि के रूप में ₹9,498.38 करोड़ जारी किए हैं और पीएमएवाई-जी के आवाससॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य ने उक्त अवधि के दौरान योजना को कार्यान्वित करने के लिए ₹16,680.02 करोड़ की निधि (समान राज्य अंश सहित) का उपयोग किया है। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों, अर्थात 2020-21 से 2024-25, में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय अंश और राज्य द्वारा उपयोग की गई निधि (समान राज्य अंश सहित) का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	**मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय अंश (रु करोड़ में)**	**राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधि जिसमें राज्य अंश भी शामिल है (₹ करोड़ में)**
2020-21	8,810.54	10,037.26
2021-22	687.84	5,423.18
2022-23	0	1,108.30
2023-24	0	80.57
2024-25	0	30.71
कुल	**9,498.38**	**16,680.02**
किसी वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग में पिछले वर्षों में प्राप्त हुई और उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधि शामिल होती है।		

मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में पहले ही ₹25,798 करोड़ जारी कर दिए हैं। तथापि, नवंबर 2022 में अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से राज्य को लक्ष्य आवंटित किए जाने के बाद, पीएमएवाई-जीके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों का सत्यापन राष्ट्रीय स्तर की निगरानी टीमों और वरिष्ठ अधिकारियों की टीमों के माध्यम से किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की निगरानी टीमों और वरिष्ठ अधिकारियों की टीमों के अवलोकनों पर संतोषजनक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण, मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 (आज तक) तक पश्चिम बंगाल राज्य को पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय अंश की कोई भी निधि जारी नहीं की गई है।

*****

अनुबंध

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य निधि" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 286 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधि (समान राज्य अंश सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा:

(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23	
		जारी केंद्रीय अंश	व्यय	जारी केंद्रीय अंश	व्यय	जारी केंद्रीय अंश	व्यय
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	5.97	104.85	16.70	69.58	127.27
2	असम	1,503.43	1,269.44	5,771.11	2,195.33	9,141.75	10,913.25
3	बिहार	6,683.93	10,004.40	3,082.22	5,954.44	7,497.21	11,718.07
4	छत्तीसगढ़	307.12	983.99	0.00	31.32	344.23	822.15
5	गोवा	0.00	0.53	0.00	0.37	0.00	0.49
6	गुजरात	192.78	495.64	687.29	893.09	911.75	1,004.67
7	हरियाणा	0.00	13.27	0.00	17.26	44.33	62.35
8	हिमाचल प्रदेश	10.62	23.40	32.97	44.04	37.86	33.24
9	जम्मू और कश्मीर	795.86	599.35	123.43	419.37	1,031.58	709.95
10	झारखंड	3,348.51	3,750.22	1,207.91	4,237.82	1,236.02	2,127.40
11	केरल	0.00	25.05	0.00	66.87	70.29	94.63
12	मध्य प्रदेश	4,565.80	4,068.96	4,509.58	8,046.72	6,374.91	11,171.29
13	महाराष्ट्र	1,310.10	2,433.50	1,249.80	2,003.82	1,676.07	3,098.13
14	मणिपुर	84.89	93.49	21.01	26.86	161.14	128.80
15	मेघालय	191.08	185.54	90.13	72.51	106.44	88.26

16	मिजोरम	16.16	13.82	41.92	5.83	29.58	55.52
17	नागालैंड	17.40	2.12	17.41	20.44	52.50	28.68
18	ओडिशा	2,821.87	4,556.46	1,011.87	1,122.73	1,723.28	310.83
19	पंजाब	49.22	59.10	18.31	60.73	71.68	100.86
20	राजस्थान	1,108.59	3,679.45	1,405.46	2,332.48	2,157.52	3,036.53
21	सिक्किम	0.00	0.28	0.57	0.06	0.97	1.67
22	तमिलनाडु	78.62	672.61	928.93	668.86	2,004.39	2,290.47
23	त्रिपुरा	113.62	98.30	1,368.48	1,111.18	1,264.20	1,325.14
24	उत्तर प्रदेश	4,830.90	5,990.29	3,727.00	7,869.83	4,777.03	7,317.50
25	उत्तराखंड	0.00	1.31	149.18	138.33	128.08	172.55
26	**पश्चिम बंगाल**	**8,810.54**	**10,037.26**	**687.84**	**5,423.18**	**0.00**	**1,108.30**
27	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.88	8.53	0.00	1.87	0.00	0.42
28	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	33.46	0.00	21.85	0.00	13.55
29	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65
31	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	214.92	0.00
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	3.00
कुल (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)		**36,857.93**	**49,105.75**	**26,237.24**	**42,803.89**	**41,130.36**	**57,952.62**

टिप्पणी: पीएमएवाई-जी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तेलंगाना राज्य ने इस अवधि के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया। इसके अलावा, किसी वित्तीय वर्ष में उपयोग की गई निधियों में पिछले वर्षों में प्राप्त हुई और उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियाँ शामिल होती है।

(ख) वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए कुल:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक का कुल योग	
		जारी केंद्रीय अंश	व्यय	जारी केंद्रीय अंश	व्यय	जारी केंद्रीय अंश	व्यय
1	अरुणाचल प्रदेश	200.61	239.84	1.00	32.39	376.04	422.17
2	असम	2,934.45	6,356.77	4,336.24	3,589.42	23,686.98	24,324.21
3	बिहार	29.66	1,097.77	2,279.60	4,338.54	19,572.62	33,113.22
4	छत्तीसगढ़	1,730.76	2,201.82	5,321.89	5,904.30	7,704.00	9,943.58
5	गोवा	0	0.58	0.00	0.03	0.00	2.00
6	गुजरात	559.25	1,540.76	1,302.49	1,368.93	3,653.56	5,303.09
7	हरियाणा	3.23	32.42	143.46	132.65	191.02	257.95
8	हिमाचल प्रदेश	99.46	92.40	871.39	689.95	1052.29	883.03
9	जम्मू और कश्मीर	1,234.68	1,363.33	288.88	636.37	3,474.43	3,728.37
10	झारखंड	28.09	523.32	1014.75	677.37	6,835.28	11,316.13
11	केरल	2.11	22.86	66.02	125.18	138.42	334.59
12	मध्य प्रदेश	241.64	1,258.44	4,277.68	3,734.67	19,969.61	28,280.08
13	महाराष्ट्र	785.21	1,809.60	4,980.59	4,861.40	10,001.77	14,206.45
14	मणिपुर	216.45	157.32	169.64	138.14	653.12	544.61
15	मेघालय	1,591.26	1,498.34	0.00	245.95	1,978.91	2,090.60
16	मिजोरम	157.89	140.30	12.95	58.81	258.50	274.28

17	नागालैंड	334.16	322.57	54.91	156.13	476.38	529.94
18	ओडिशा	4,310.71	7,643.52	825.05	2,714.60	10,692.78	16,348.14
19	पंजाब	32.635	48.15	239.78	184.18	411.62	453.02
20	राजस्थान	67.57	661.99	1,239.90	1,440.76	5,979.04	11,151.21
21	सिक्किम	1.58	2.12	0.00	0.60	3.12	4.73
22	तमिलनाडु	28.23	975.55	167.09	310.84	3,207.26	4,918.33
23	त्रिपुरा	1,276.90	1,664.58	204.86	151.68	4,228.05	4,350.88
24	उत्तर प्रदेश	2,620.93	5,014.91	130.45	785.93	16,086.31	26,978.46
25	उत्तराखंड	388.19	353.88	20.27	72.72	685.72	738.79
26	**पश्चिम बंगाल**	**0**	**80.57**	**0.00**	**30.71**	**9,498.38**	**16,680.02**
27	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.45	2.19	0.00	3.55	22.33	16.56
28	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	16.89	16.12	26.50	16.12	112.25
29	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
30	आंध्र प्रदेश	312.25	503.66	113.50	90.91	425.75	682.22
31	कर्नाटक	3.61	468.67	414.04	447.06	632.56	915.73
32	लद्दाख	18.90	18.00	0.00	0.08	21.99	21.08
कुल (सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)		**19,215.89**	**36,113.12**	**28,492.52**	**32,950.34**	**1,51,933.94**	**2,18,925.72**

टिप्पणी: पीएमएवाई-जी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तेलंगाना राज्य ने इस अवधि के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया। इसके अलावा, किसी वित्तीय वर्ष में उपयोग की गई निधियों में पिछले वर्षों में प्राप्त हुई और उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियाँ शामिल होती है।

****